

2019/0 0288

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, आज्ञा - पत्र

उनवान

..... माजीलाट बनाम आठू पाल

किस्म मुकहमा 225 मि० नं० 57/19 सन्

अभिभाषक अपीलाट श्री डुले रिंर अभिभाषक रेसपोन्डेंट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

13.1.21

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक-अपीलाट अनुपस्थित
~~अपीलाट~~। अर्थात् न्यायालय का रिकार्ड
 तैयार कर / रेसपो की तलवी कमायी जाकर
 यह फरवली दिनांक 22.1.21 को पेश हो।

(महेन्द्र लोढ़ा)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

अपीलाट अनुपस्थित
 इतिहास 09/1/21

27.1.21


अदालत एवम्
 असा पेशी

27-1-2021

पत्रावली केसप द्वारा पेश हुई / अभिभाषक
 अपीलाट अनुपस्थित है / बार-बार उम्माजे
 लगावई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
 अतः पत्रावली अदम इजारी एवं अदम पेशकी
 में कार्रज की जाती है। पत्रावली फलानु अकार
 होकर काद नामील नक मील दारिखतदफतर है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)





25.7.2018

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा केम्प बारों

माँगीलाल पुत्र औकार जाति मीणा निवासी अर्जुनपुरा तहसील किशनगंज
जिला बारां राज० —अपीलान्ट

बनाम

बाबूलाल पुत्र जोधराज जाति खटीक निवासी रामगढ तहसील किशनगंज
जिला बारां राज० —रेस्पो०

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 12/3/2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज बाबूलाल

बनाम माँगीलाल प्रकरण संख्या 70/2015 प्रार्थना

पत्र धारा 212 राज०टी०एक्ट बाबत रिसवर नियुक्त

किए जाने पीठासीन अधिकारी श्री गोपाललाल मीणा

आर ए एस

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदन करता है:-

1- यह कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, न्याय समन्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के विपरीत तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2- यह कि विवादित आराजीयात बाबत विचारण न्यायालय ने गलत रूप से रिसीवर नियुक्त किया है जबकि अपीलान्ट के पिता औकार के जीवनकाल मे करीब 55 वर्ष पूर्व नोटोड करके आराजी को काबिल काश्त बनाया था जब से

कि. अ. मा. व. लाल